लोक सुनवाई का वृत।

श्री बिमल कुमार, पिता–श्री श्याम सुंदर यादव, पता–कुर्जी, पोस्ट–कुर्जी मोरे, थाना–दीघा, जिला–पटना द्वारा सोन–40 बालू घाट, मौजा–इमादपुर, प्रखंड–तरारी, जिला–भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 19.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय तरारी, तरारी, जिला–भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2090/2022, dt.11.01.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार झा, अपर समहर्त्ता, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 19.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय तरारी, तरारी, जिला–भोजपुर में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 12.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री आमिर अख्तर ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा । वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (390 नं0)का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management

Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री निर्मल कुमार सिंह, ग्राम–इमादपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन कितने फीट तक किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन सतह से 03 मीटर (लगभग 10 फीट) गहराई तक किया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
2.	श्री विकास पाण्डेय, ग्राम–इमादपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना से स्थानीय लोग को क्या लाभ मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोग को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। स्थानीय क्षेत्र के आस–पास ग्रीनवेल्ट विकास किया जायेगा, क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।
3.	श्री सुनील कुमार सिंह, ग्राम–इमादपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू को तिरपाल से ढ़ककर ले जाते समय भी बालू गिरते हुए जाता है। 03 मीटर गहराई तक बालू खनन किया जाना है। लेकिन उससे ज्यादा खनन कर लेते हैं। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि गाड़ी को तिरपाल से ठीक से ढक्कर ले जायेंगे। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। नियमित रूप से जल–छिड़काव किया जायेगा। सतह से 03 मीटर गहराई से अधिक बालू खनन होने पर स्थानीय लोग षिकायत कर सकते हैं।
4.	श्री सुधांशु कुमार पाण्डेय, ग्राम–इमादपुर, जिला–भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन परियोजना में पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। जिससे यातायात बाधित न हो।

खनिज विकास पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन परियोजना के कुल लागत का 2% राशि इसमें संचित होता है। मिशन कायाकल्प के तहत् खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। इस क्षेत्र के प्रभावित आम जनता भी अपना मांग रख सकती है, इस राशि से उसको पूरा करने का अनुशंसा किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

पौधों का रख–रखाव स्थानीय ग्रामीण के द्वारा ही सुनिश्चित कराया जाय। पेड़ लगाने का लक्ष्य कम–से–कम 500 किया जाय। पीपल, बरगद, आम, जामुन, बरहर, नीम जैसे छायादार एवं फलदार पेड़ लगाया जाय। रैयत के मांगने पर निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराया जाय।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

10-6-23

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद,पटना

अपर समाहर्त्ता,
भोजपुर

श्री बिमल कुमार, पिता-श्री श्याम सुंदर यादव द्वारा सोन -40 बालू घाट, मौजा-इमादपुर, अंचल-तरारी, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान- अंचल कार्यालय तरारी, दिनांक: 19.06.2023 समय-03:00 P.M.

क्र.स.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री मनोज कुमार झा	अपर - समाहर्ता, भोजपुर	[signature] 19/6/23
2.	आशीष कुमार गुप्ता	स०पदा०, बि०प्र०प्र०नि० पर्षद पटना	[signature] 19-6-23
3.	आनन्द प्रकाश	खनिज विकास पदाधिकारी	[signature] 19/06/2023
4.	Amit Akhtar	Rion Enviro Patna	[signature] 19/6/23
5.	मो० राशिद आलम	Rion Enviro Patna	[signature]
6.	Vikash Kr	B.S.P.C.B Patna	Vikash Kr.
7.	मुन्ना पाण्डेय	ग्रा०+पो०+था० - ईमादपुर जिला - भोजपुर	मुन्ना पाण्डेय 19.06.23
8.	अभिषेक कुमार पाण्डेय	ग्रा०पो० - थाना ईमादपुर जिला भोजपुर	अभिषेक कुमार पाण्डेय 19/06/2023
9.	निर्मल कुमार सिंह	ग्राम+पो+थाना - ईमादपुर भोजपुर	निर्मल कुमार सिंह 19.6.23
10.	कौशल कुमार	ग्राम+पो+था० - ईमादपुर	Kaushal Kumar 19/6/23
11.	Munna Kumar	Imadpur	Munna Kumar
12.	रंजीत सिंह	ईमादपुर	रंजीत सिंह
13.	Sanjay Ku	Imadpur	Sanjay Kum
14.	अमोल कुमार	ईमादपुर	अमोल कुमार
15.	प्रियरंजन कुमार	ईमादपुर	[signature]
16.	मनोज पाठक	ईमादपुर	[signature]
17.	[illegible] कुमार	ईमादपुर	[signature]
18.	गोपाल पाण्डेय	ईमादपुर	[signature]

19.	अमृतेश पाण्डेय	इमादपुर	[illegible]
20.	साजु सिंह	इमादपुर	Sanjay.
21.	विनय पति	इमादपुर	[illegible]
22.	[illegible]	इमादपुर	[illegible]
23.	अप्पु कुमार	इमादपुर	[illegible]
24.	पिंटु कुमार	इमादपुर	[illegible]
25.	रंजन पाण्डेय	इमादपुर	Ranjan Pandey
26.	चन्दन पाण्डेय	इमादपुर	Chandan Pandey
27.	प्रकाश पाण्डेय	इमादपुर	[illegible]
28.	अनिल कुमार यादव	इमादपुर	Anil Kumar Yadav
29.	अमरेश कुमार	ग्रा० + पो० + थाना इमादपुर	[illegible]
30.	चुन्नू कुमार	ग्रा० + पो० + थाना - इमादपुर	Chunnu Kr
31.	बंटु कुमार	ग्रा० + पो० + थाना इमादपुर	बंटु कुमार
32.	विपुल कुमार	ग्रा० + पो० + थाना इमादपुर	Bipul
33.	अभिमनु कुमार	ग्रा० + पो० + थाना इमादपुर	अभिमनु कुमार
34.	[illegible] सिंह	[illegible]	[illegible] सिंह
35.	Nilmani Pandey	IMADPUR	Nilmani Pandey
36.	Piyush Panday	Vill+P.O-Imad Pur	P.Panday.
37.	सुधांशु कु० पाण्डेय	ग्राम + पो० + थाना - इमादपुर	Sudhanshu Kr Pandey
38.	Tinku Pandey	vill+P.O+P.S-Imadpur	[illegible]
39.	[illegible]	इमादपुर	[illegible]
40.	[illegible]	[illegible]	[illegible]